रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082026-275048
CG-DL-E-01082026-275048

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 635]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2026/श्रावण 9, 1948
No. 635]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2026/SHRAVAN 9, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 697(अ).— केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) की धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कांस्टेबल (केनेलमैन) (योधक) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, कांस्टेबल (केनेलमैन), योधक समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ, आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति -

क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या

ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद में से नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. चिकित्सा मानक -(1) केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा मानक शेप-1 पूरा करेंगे इन नियमों के अधीन नियुक्त होंगे।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, "शेप-1" से चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है जो गृह मंत्रालय या संबंधित बल द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यकारी अनुदेशों द्वारा शासित होगा, अर्थात्, एस - मनोरोग समस्याएं, एच - श्रवण (कान के रोग), ए - उपांग ऊपरी या निचले अंगों की समस्याओं से संबंधित हैं, अर्थात्, हाथ और पैर, पी - अन्य बीमारियों जैसे उच्च हाइपररटेंशन (उच्च रक्तचाप), हृदय रोग (हृदय संबंधी रोग), मधुमेह (उच्च शर्करा), मोटापा (मोटा होना - अधिक वजन होना), कैंसर, आदि से संबंधित कारक और ई – दृष्टि शक्ति या दृष्टि के रोगों से संबंधित।

(3) गृह मंत्रालय द्वारा यूओ सं. ए-VI-1/2014-भर्ती (एसएसबी), तारीख 20 मई, 2015 द्वारा जारी संशोधित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के दौरान विस्तृत चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाएगी।

6. अन्यदेशीय की अपात्रता – कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा:

परंतु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात बल में नेपाल या भूटान के नागरिक की नियुक्ति या नियोजन को लागू नहीं होगी।

7. अधिवर्षिता – (1) इन नियमों के उपबंधो के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति उस मास के, जिसमे वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होगा।

परन्तु यह कि वह व्यक्ति, जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता की सेवानिवृत्ति की आयु के परे सेवा में विस्तार मंजूर नहीं किया जाएगा।

8. शिथिल करने की शक्ति. – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कांस्टेबल (केनेलमैन)।	15* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योधक।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3 (21700–69100 रुपये)।	लागू नहीं होता ।	18 से 25 वर्ष की आयु के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

					टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, लद्दाख व लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।**
(7)	**(8)**
(1) शैक्षिक अर्हता : (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; (ख) सरकारी पशु चिकित्सा अस्पतालों या औषधालय या पशु चिकित्सा महाविद्यालय या सरकारी पशु फार्म या किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या पशु फार्म या पशु चिकित्सा महाविद्यालय से पशुओं को संभालने में कम से कम दो वर्ष का अनुभव। (2) शारीरिक मानक: **(क)** पुरुष: i) **ऊंचाई** : **(अ)** सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी -170 सेंटीमीटर; **(आ)** गढ़वाली, कुमाऊँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम की प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थी और अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख से संबंधित अभ्यर्थी - 165 सेंटीमीटर; **(इ)** अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों से संबंधित अभ्यर्थी- 162.5 सेंटीमीटर; (ii) **छाती** : (अ) गढ़वाली, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम सहित सभी अभ्यर्थियों (अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर) और अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए - 80-85 सेंटीमीटर; (आ) अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए - 77-82 सेंटीमीटर। **(ख)** महिला: (i) **ऊंचाई**: **(अ)** सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति के उम्मीदवार – 157	लागू नहीं होता।

सेंटीमीटर; **(आ)** गढ़वाली, कुमाऊँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम की प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थी और अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख से संबंधित अभ्यर्थी - 155 सेंटीमीटर; **(इ)** अनुसूचित जनजाति से संबन्धित अभ्यर्थी – 154 सेंटीमीटर; (ii) छाती: लागू नहीं होता; (ग) **वजन** : चिकित्सा मानकों (पुरुष और महिला के लिए) के अनुसार लंबाई और आयु के अनुरूप। (3) चिकित्सा मानक: (क) दृष्टि मानक: (प्रवेश पर आयु 18 से 35 वर्ष) (i) **दृष्टि बिना चश्मों के (निकट दृष्टि)** अच्छी आंख - N6 खराब आंख - N9 (ii) **दृष्टि बिना चश्मों के (दूर की दृष्टि)** अच्छी आंख - 6/6 खराब आंख -6/9 (iii) **अपवर्तन** चश्मे द्वारा भी किसी भी प्रकार का दृष्टि सुधार अनुज्ञात नहीं है। (iv) **रंग दृष्टि** इसिहारा द्वारा सीपी III टिप्पण : दाएं हाथ के व्यक्ति में, दाहिनी आंख अच्छी होती है और इसी प्रकार बाएँ हाथ के व्यक्ति में बाईं आँख। बाइनोकुलर दृष्टि अपेक्षित है। (ख) अभ्यर्थी के पैर अंतर्ज्ञानु या सपाट या स्फीति शिरा और आँखों से त्रिर्यक नहीं होना चाहिए और उन्हें अच्छे मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए एवं उनमें कर्तव्यों के कुशल निर्वहन रुकावट पैदा करने वाली कोई शारीरिक विकृति नहीं होनी चाहिए। (4) अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा अर्हित करनी होगी। भूतपूर्व सैनिक/पुनर्नियोजन: सेवानिवृत्त या सेना के निर्मुक्त कार्मिक जिन्होंने नौसेना या वायु सेना में कांस्टेबल (केनेलमैन) या समतुल्य रैंक के मूल रैंक पर सेवा दी है (जो समतुल्य मानद रैंक धारण करते हैं वे पात्र नहीं होंगे) उन्हें निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा, अर्थात्: - (क) **शैक्षिक अर्हताएँ** : (i) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य या सेना प्रथम वर्ग का प्रमाण पत्र या नौसेना या वायु सेना में समतुल्य, जिन्होंने संघ के सशस्त्र बलों में सेवा की अंतिम तारीख को कम से कम पंद्रह वर्ष की सेवा की हो, विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र माने जाएंगे। टिप्पण: गैर-मैट्रिक भूतपूर्व सैनिक और जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पंद्रह वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, वे पात्र नहीं हैं; (ii) सरकारी पशु चिकित्सा अस्पतालों या औषधालय या पशु चिकित्सा महाविद्यालय या सरकारी पशु फार्म से पशुओं को संभालने में कम से कम दो वर्ष का अनुभव;	

(ख) **चिकित्सा मानक**:

(i) चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 और पूर्व सैन्य कार्मिकों के लिए विहित समतुल्यधारित करते हों।

(ii) **दृष्टि मानक (प्रवेश के समय आयु 35-55 वर्ष)**

1. दृष्टि तीक्ष्णता संशोधित (निकट दृष्टि)

अच्छी आंख - N6 खराब आंख - N9

2. दृष्टि तीक्ष्णता असंशोधित (दूर दृष्टि)

अच्छी आंख	खराब आंख
6/9	6/9
या	या
6/6	6/12

3. अपवर्तन

हाइपरमेट्रोपिया: +2 डीएस

मायोपिया: 2.5 डीएस (सिलेंडर सहित)

टिप्पण : आयु से संबंधित शारीरिक प्रेस्बायोपिक परिवर्तन 35 वर्ष के पश्चात होने की संभावना है, इसलिए आयु के अनुसार प्रेस्बायोपिक परिवर्तन छूट की अनुज्ञा दी जाती है जैसा कि निकट दृष्टि के लिए नीचे उल्लिखित किया गया है (यह पहले से ही दूर के लिए प्रदान की गई उपरोक्त छूट के अतिरिक्त है)।

(i) +1 डीएस 40 वर्ष तक

(ii) +2 डीएस 50 वर्ष तक

(iii) +3 डीएस 51 - 60 वर्ष और उससे अधिक

4. रंग दृष्टि

इसिहारा द्वारा कलर परसेप्शन III

टिप्पण 1: दाएं हाथ के व्यक्ति में, दाहिनी आंख अच्छी होती है इसी प्रकार बाएँ हाथ के व्यक्ति में बाईं आँख। बाइनोकुलर दृष्टि अपेक्षित है। 35 वर्ष की आयु के बाद प्रेस्बायोपिक परिवर्तन और अपवर्तक त्रुटियां आम हैं।

टिप्पण 2: शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित समान चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा और उन्हें चिकित्सकीय रूप से योग्य घोषित किया जाएगा।

(ग) **चरित्र**: बहुत अच्छा या अनुकरणीय।

(घ) **शारीरिक मानक:** भूतपूर्व सैनिकों के लिए शारीरिक मानकों में पूर्ण शिथिलीकरण।

(ङ) **सेवा में विराम**: तीन वर्ष से अधिक नहीं।

(च) पूर्व सैनिकों के लिए शिथिलीकरण केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।

टिप्पण: केवल वे कार्मिक पुनर्नियोजन पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र होंगे जो वास्तव में रिक्तियों के विज्ञापन की तारीख को निर्मुक्त या सेवानिवृत्त हो गए हैं।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**
(9)	**(10)**	**(11)**
सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। परिवीक्षा को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण पूर्व अपेक्षित है।	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन :** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी, - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -3 (21700-69100 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष की सेवा की हो और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता और अनुभव रखते हैं। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं: - 1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी या कमांडेंट - अध्यक्ष; 2. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या उप कमांडेंट - सदस्य; 3. चिकित्सा अधिकारी या सहायक कमांडेंट - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं ई-32013/01/2024/स्था.I]

पी.एस. डंगवाल, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2026

G.S.R. 697(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 read with clause (a) of sub-section (2) of section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Constable (Kennelman) (Combatised) in the Central Industrial Security Force under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Central Industrial Security Force, Security Wing, Constable (Kennelman) Combatised, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Medical standard.-(1) The person who seeks appointment under these rules shall fulfil the SHAPE-I medical standards.

(2) For the purposes of sub-rule (1), "SHAPE-I" shall mean the medical category which shall be governed by the executive instructions issued from time to time by the Ministry of Home Affairs or Forces concerned, that is, S – Psychiatric problems, H – Hearing (Ear diseases), A – Appendages pertains to the problems of upper or lower limbs, that is, arms and legs, P - Factor is related to other disease like Hypertension (High Blood Pressure), Cardiac disease (Heart Diseases), Diabetes (High Sugar), Obesity (being Fat – overweight), Cancer, etc. and E – Eye sight or Eye diseases.

(3) Detailed medical examination shall he conducted during recruitment process as per revised guidelines issued by the Ministry of Home Affairs *vide* UO No.A-VI-1/2014-Rectt (SSB), dated the 20th May, 2015.

6. Ineligibility of non-citizens of India. – No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

7. Superannuation. – (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of month in which such person attains the age of sixty years:

Provided that the person whose date of birth is on the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the specified age of retirement on superannuation.

8. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Constable (Kennelman).	15* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatised.	Level -3 in the pay matrix (Rs.21700–69100).	Not applicable.	Between 18 and 25 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those residing in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Panji Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh and the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(7)	**(8)**
(1) Educational qualification: (a) 10th class pass or equivalent from a recognised Board; (b) not less than two years experience in handling of animals from Government Veterinary hospitals or dispensary or Veterinary College or Government Animals Farm or a recognised hospital or Animal Farm or Veterinary College. (2) Physical standards: (a) Male: (i) Height: (A) General or the other backward classes or the Scheduled Castes candidates-170 centimeters; (B) candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies and candidates belonging to the States of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and the Union territory of Ladakh – 165 centimeters; (C) candidates belonging to the Scheduled Tribes categories- 162.5 centimeters; (ii) Chest: (A) For all candidates (except the Scheduled Tribes) including Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies and candidates belonging to the States of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and the Union territory of Ladakh – 80-85 centimeters; (B) for candidates belonging to the Scheduled Tribes - 77-82 centimeters. (b) Female: (i) Height: (A) General or the other backward classes or the Scheduled Castes candidates – 157 centimeters; (B) candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies and candidates belonging to the States of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and the Union	Not applicable.

territory of Ladakh – 155 centimeters; (B) candidates belonging to the Scheduled Tribes – 154 centimeters; (ii) Chest: Not applicable; (c) Weight: corresponding to height and age as per medical standards (for male and female). (3) Medical Standards: (a) Visual Standards : (Age at entry 18 to 35 years) **Visual Acuity unaided (Near Vision)** Better eye – N6 Worse eye – N9 (ii) **Uncorrected visual acuity (Distant Vision)** Better eye – 6/6 Worse eye –6/9 (iii) **Refraction** Visual correction of any kind is not permitted even by glasses. (iv) **Color Vision** CP III BY ISIHARA. Note : In right handed person, the right eye is better eye and *vice versa*. Binocular vision is required. (b) Candidates must not suffer from knock-knees, flat foot, varicose veins and squint in the eyes and they must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likelyto interfere with the efficient performance of duties. (4) The candidate must qualify the physical efficiency and written tests. Ex-servicemen / re-employment : Retired or released Army personnel who have held the substantive rank of Constable (Kennelman) or equivalent rank in the Navy or Air Force (those holding equivalent honorary ranks shall not be eligible) and they shall fulfill the following requirements, namely:- (a) **Educational qualification** : (i) 10th class pass or equivalent or having Army 1ST Class Certificate or equivalent of Navy or Air Force, who has put in not less than fifteen years of service as on closing date with Armed Forces of the Union shall be considered eligible for appointment to the posts being advertised. Note : Non-matric ex-Servicemen and who have not completed fifteen years of service as on the last date for receipt of applications are not eligible;	

(ii) not less than two years experience in handling of animals from Government Veterinary hospitals or dispensary or Veterinary College or Government Animals Farm; (b) **Medical Standard**: (i) shall possess medical category SHAPE –I and equivalent to that prescribed for ex- Military personnel. (ii) **Visual Standard (age at entry 35-55 Years)** **1. Visual Acuity corrected (Near Vision)** Better eye – N6 Worse eye – N9 **2. Uncorrected visual acuity (Distant Vision)** Better eye. Worse Eye 6/9 6/9 or or 6/6 6/12 **3. Refraction** Hypermetropia : +2 DS Myopia : 2.5 DS (including cylinder) **Note:** Age related physiological presbyopic changes are likely to occur above 35 years so age wise presbyopic changes relaxation is permitted as mentioned below for near vision (this is in addition to that above relaxation already provided for distant). (i) +1 DS upto 40 years (ii) +2 DS upto 50 years (iii) +3 DS 51 - 60 years & above **4. Color Vision** Color Perception III BY ISIHARA. **Note 1:** In right handed person, the right eye is better eye and *vice versa*. Binocular vision is required. PRESBYOPIC changes and refractive errors are common after the age of 35 years. **Note 2:** Short listed candidates will undergo same medical examination as for other candidates and should be declared medically fit. (c) **Character**: Very good or exemplary. (d) **Physical standard:** Total relaxation of physical standards for ex-Servicemen.	

(e) **Break in Service**: Not more than three years. (f) Relaxation for ex-Servicemen shall be as per the instructions issued by the CentralGovernment from time to time. **Note:** Only those personnel shall be eligible for consideration for appointment on re- employment who have actually released or retired on the date of advertisement of the vacancies.	

Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.**
(9)	**(10)**	**(11)**
Two years for direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government. The training is pre-requisite for completion of probation.	By direct recruitment, failing which by deputation/ absorption.	**Deputation/absorption:** Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations, - (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruitment under column (7). **Note 1**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for deputation shall not be exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Chief Medical Officer or Commandant - Chairperson; 2. Senior Medical Officer or Deputy Commandant - Member; 3. Medical Officer or Assistant Commandant - Member.	Not applicable.

[F. No. E-32013/01/2024/Estt.I]

P.S. DANGWAL, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.08.01 11:38:41 +05'30'